

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-6.3.2025

विषय : बिहार विधान मंडल की पदाधिकारी दीर्घा में पदाधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् का 209वां सत्र (बजट सत्र) दिनांक-28 फरवरी, 2025 से 28 मार्च, 2025 तक आहूत है।

प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि विधान मंडल के सत्र के समय प्रश्नोत्तर काल में अधिकांश विभागों द्वारा अत्यंत कनीय पदाधिकारियों को पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि प्रश्नोत्तर काल के समय संबंधित विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा अपरिहार्य स्थिति में विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में दूसरे वरीयतम पदाधिकारी को पदाधिकारी दीर्घा में रहना चाहिए।

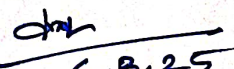
इस तथ्य का उच्च स्तर पर भी संज्ञान लिया गया है तथा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कई विभागीय पदाधिकारी दीर्घा से सदन की कार्यवाही की मोबाईल से वीडियोग्राफी करते रहते हैं जो अत्यंत आपत्तिजनक एवं स्थापित नियमों का उल्लंघन है।

इस संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:

1. विधान मंडल में प्रश्नोत्तर के समय संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यथासंभव स्वयं पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें तथा अपरिहार्य स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरीयतम पदाधिकारी पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थिति रहें।
2. पदाधिकारी दीर्घा में वांछित अनुशासन के संबंध में सभी विभागीय पदाधिकारियों को विशेष रूप से अवगत करा दिया जाय ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

उक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


6.3.25
(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव।